150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकःराम/गोप/विविध/2016/ 1497 दिनांकः- 12/7/2020

-:: परिपत्र ::-

प्रायः देखने में आ रहा है कि राजस्व मण्डल नियंत्रित अधिकारी/कर्मचारी यथा तहसीलदार,नायब तहसीलदार ,सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-I व ग्रेड-II तथा मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के समस्त कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नही होते है, जिन्हे प्राप्त किये जाने के लिए मण्डल द्वारा समय समय पर पत्र/स्मरण पत्र जारी किये जाते है, अनावश्यक पत्राचार के फलस्वरूप देय चयनित वेतनमान,स्थाईकरण एवं विभागीय पदोन्नति समिति के बैठकों मे विलम्ब होता है । कार्मिक विभाग के परिपत्र/दिशानिर्देशों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के क्रम मे समय सीमा निर्धारित की गई है । निर्धारित अवधि में मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने की स्थिति मे प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा स्वप्रेरित टिप्पणी अंकित कर निर्धारित चैनल अनुसार समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने के कार्मिक विभाग के परिपत्र/दिशा-निर्देश है, किन्तु फिर भी अधिक संख्या मे पूर्व वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लंबित है जिन्हे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गंभीरता से लिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./08 दिनांक 23.9.2010 के द्वारा निम्नांकित दिशानिर्देश दिये हुए है:-

1- राजस्थान सिविल सर्विस(कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट)अनुदेश 2008 के परिशिष्ठ 'ए' एवं 'एए'मे अंकित समय सारणी अनुसार प्रतिवेदित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जावे ।

2- उक्त परिशिष्ठ अनुसार समय पर समय पर प्रतिवेदक/समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदनों की पूर्ति कर भिजवाने हेतु सुनिश्चित किया जावे । समय पर पालना नही किये जाने की प्रवृति को सरकार गंभीरता से लेती है ।

3- प्रतिवेदित हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट नाम, पदनाम एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथी आवश्यक रूप से अंकित करें ।

4- प्रतिवेदन के भाग संख्या 2 के कालम2(ग) के अन्तर्गत प्रतिकूल प्रविष्ठि मानते है तो उसके लिए संक्षिप्त किन्तु ठोस कारण भी देवे।

5- प्रतिवेदन प्रपत्र के साथ स्थावर संपत्ति की सूचना सम्पूर्ण अंकित की जावे । इसके अभाव मे प्रतिवेदन स्वीकार नही किया जावे । इस संबंध मे मण्डल के ध्यान मे आया है कि कतिपय कार्मिक वाकामू प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित अचल संपत्ति प्रपत्र मे पूर्वानुसार अंकित कर देते है या रिक्त छोड देते है जो उचित नही है । अचल संपत्ति नही होने की स्थिति मे शून्य अंकित किया जावे अथवा अचल संपत्ति होने की स्थिति मे पूर्ण विवरण अंकित किया जावे ।

6- प्रतिवेदन मे प्रतिवेदक/समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी अपना नाम, पदनाम व तिथी आवश्यक रूप से अंकित करें ।

7- प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन (ग्रेडिंग) को समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी यदि डाउनग्रेड/अपग्रेड किया जाता है तो उसके लिए ठोस कारण अंकित किया जावे। बिना किसी ठोस कारण अंकित नही किये जाने की दशा मे अनावश्यक वाद बढ़ते है ।

अतः कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र/दिशानिर्देशों की कठोरता से पालना करते हुए आपके अधीनस्थ पदस्थापित अधिकारी(यथा तहसीलदारगण एवं मण्डल के नियंत्रणाधीन कार्मिक) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 जो आवश्यक पूर्ति उपरान्त 30.6.2020 तक आवश्यक रूप से मण्डल को भिजवाना सुनिश्चित करावें ।

यहा पर यह भी उल्लेखनीय है कि आपके अधीनस्थ पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व वर्षो के मूल्यांकन प्रतिवेदन जो विभिन्न विभागों/अधिकारियों से आपको प्राप्त हुए हो जिन पर आपके स्तर की कार्यवाही अपेक्षित हो, उन पर वांछित टिप्पणी अंकित कर मण्डल को तुरन्त भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

(रेणु जयपाल)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर।

क्रमांक/सम/ 1598 – 1614 दिनांकः– 12/5/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव,माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग,/राजस्व(ग्रुप–1)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3– निजी सचिव,माननीय सदस्य महोदय(समस्त)राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर
3– निजी सचिव,निबन्धक महोदय,राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर
4– निदेशक,स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान–जयपुर
5– महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ।
6– संभागीय आयुक्त समस्त/जिला कलक्टर समस्त/
7– निदेशक,राज.राज्य आसूचना निदेशालय जयपुर
8– आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर / आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
9– निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।/प्रधानाचार्य,एपीआरटी, टोंक ।
10–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर /आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
11–रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, राजस्थान बुनकर संघ भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने जयपुर ।
12–अध्यक्ष एवं एमडी,राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि0 ज्योति नगर, जयपुर / अजमेर
13–मुख्य प्रबंधक,बीपीसीएल, कोटा–जोबनेर पाईप लाईन, कोटा /एम.डी. गेल इण्डिया लि0,जयपुर ।
14–आयुक्त, सी0ए0डी0 चम्बल, कोटा ।
15–मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर
16–प्रबन्ध निदेशक, रीको लि0 जयपुर ।
17–मुख्य प्रबंधक,स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल उदयपुर/ जिप्सम नागौर
18–अधीक्षण अभियन्ता,नर्मदा सिंचाई परियोजना वृत जालौर
19–उपखण्ड अधिकारी समस्त
20–सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर / सचिव, राज0आवासन मण्डल, जयपुर ।
21–सचिव,नगर सुधार न्यास,अलवर/भीलवाडा/बीकानेर/गंगानगर/कोटा/उदयपुर/भिवाडी /चित्तौडगढ
22–मुख्य अभियन्ता, सार्व0निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर /मुख्य अभियन्ता,ई.गा.न.प. बीकानेर ।
23–अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत,अजमेर/नागौर/भरतपुर/बीकानेर/गंगानगर/जयपुर/सीकर/कोटा जोधपुर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर ।
24–प्रभारी अधिकारी(न्याय/रातस/भू.अ./प्रशासन), राजस्व मण्डल, अजमेर ।
25–संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित समस्त विभागो को ई–मेल करने बाबत ।
26–गार्ड फाईल ।

उप निबन्धक(गोपनीय)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर